न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –41 / 2013
अनवान : –

1. महेश कुमार पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर–फौत।
   1/1. दुर्गा देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
   1/2. अन्जु 1/3. पवन 1/4. मंजु पुत्र व पुत्रीयान ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील।
2. कृष्णचन्द पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर–फौत।
   2/1. नर्मदा देवी पत्नी कृष्णचन्द जाति ब्राहमण निवासी नोहर।
   2/2. किरण देवी 2/3. राजेन्द्र कुमार 2/4. विनोद कुमार 2/5. वीणा पुत्र व पुत्रीया कृष्णचन्द जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पत्नी जगदीश जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर–फौत।
   3/1. शारदा 3/2. गीता 3/3. मुनी पुत्रीया सुमित्रा जाति ब्राहमण निवासी नोहर।
   3/4. कविता 3/5. ज्योतिवाला 3/6. मंगतुराम 3/7. सुनीता 3/8. सुशीला पुत्री व पुत्रीयान इन्द्रा देवी पुत्री जगदीश जाति ब्राहमण निवासी नोहर।
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर–फौत।
   4/1. सुमन 4/2. सरोज 4/3. सुशील कुमार 4/4. हरकेश पुत्र पुत्रीया लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. शंकरलाल 6. रामवतार 7. श्यामसुन्दर पि0 जगदीश जाति ब्राहमण निवासी नोहर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. सानिध्य पुत्र महेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53,88</u>
<u>राजस्थान कास्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :– 1. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**
2. श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांक: 10/06/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आ[illegible] पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की खातेदारी कृ[illegible]–बी में प0न0 318/432 के मु0न0 7 के किला न0 1–2 की [illegible] न0 9 ता 13 की 1.[illegible] हैक्ट, किला न0 18 ता 20 की 0.759 हैक्ट, प0न0 317/432 के मु0[illegible] 8 के किला न0 15–[illegible] की 0.506 हैक्ट, किला न0 19 ता 22 की 1.012 हैक्ट, प0न0 316/432 के मु0न0 9 के किला न0 25 की 0.253

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हैक्ट, प0न0 316/433 मु0न0 17 के किला न0 3–4 की 0.506 हैक्ट, किला न 5 की 0.227 हैक्ट, किला न0 6 की 0.227 हैक्ट किला न0 8 की 0.506 हैक्ट, प0न0 109/25 की 0.506 गै0मु0 खाला कुल 24 किता की 5.8190 हैक्ट भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी की उक्त भूमि में से 2.783 हैक्ट भूमि खरीदशुदा भूमि है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा कर रखा है जिसके मुताबिक वादी पास प0न0 317/432 के मु0न0 8 के किला 19 ता 22 की 1.012 हैकट, प0न0 316/432 के मु0न0 9 के किला न0 25 की 0.253 हैक्ट, प0न0 316/433 के मु0न0 17 के किला न0 3–4 की 0.506 हैक्ट, किला न0 5 की 0.227 हैक्ट, किला न0 6 की 0.227 हैक्ट, किला न0 7–8 की 0.506 हैक्ट कुल 2.732 हैक्ट भूमि पर काबिज है। उक्त भूमि वादी ने खरीद की थी लेकिन जमाबंदी में भूमि शामिल रूप से दर्ज होने के कारण हमेशा सींव व लगान संबंधित विवाद रहता है इसलिए वादी मुताबिक हक हिस्सा व मुताबिक कब्जा काश्त के अपना खाता व लगाान तकसीम करवा पाने का अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी को काफी मर्तबा कहा कि विवादित भूमि में अपने हक व हिस्सा व मुताबिक बाहमी बंटवारा कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवा ले तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2/3 ने जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की उक्त वाद भूमि उत्तरदाता की पैतृक भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि का कोई बाहमी बंटवारा नही हुआ है। अतः मुताबिक किस्म वादी वादी डिक्री किया जावें। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्यप्रतिवादी में प्रतिवादी 2/3 द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जो की शामिल मिसल किये गये।

दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की रोही मौजा 1 एनएचआर–बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के खाता स0 26/25 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से वादी द्वारा प0न0 317/432 के मु0न0 8 के किला 19 ता 22 की 1.012 हैकट, प0न0 316/432 के मु0न0 9 के किला न0 25 की 0.253 हैक्ट, प0न0 316/433 के मु0न0 17 के किला न0 3–4 की 0.506 हैक्ट, किला न0 5 की 0.227 हैक्ट, किला न0 6 की 0.227 हैक्ट, किला न0 7–8 की 0.506 हैक्ट कुल 2.732 हैक्ट भूमि खरीद की हुई है उक्त वाद भूमि पर वादी काबिज है वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सींव व लगान को लेकर झगड़ा रहता है इसलिए वादी, प्रतिवादीगण से अपना खाता व लगाान अलग करवाना चाहता है। अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 1 एनएचआर–बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के खाता स0 26/25 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता मे दर्ज राज़स्व रिकार्ड है। वादी ने अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार उक्त भूमि का अन्य सहखातेदारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 1 एनएचआर–बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के खाता स0 26/25 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 महेश कुमार पुत्र संतलाल 1/2 हिस्सा, सानिहय पुत्र महेश कुमार 1/2 हिस्सा जाति ब्राहमण साकिन नोहर

316/432(9) 25/0.253, 316/433(17) 3–4/0.506, 5/1 की 0.025, 5/2 की 0.228, 6/1 की 0.025, 6/2 की 0.228, 7–8 की 0.506, 317/432(8) 19 ता 22 की 1.012 किता 11 रकबा 2.7830 हैक्ट

2 अंजु पुत्री ओमप्रकाश 2286/30360, किरणदेवी पुत्री कृष्णचन्द्र 1829/30360, दुर्गादेवी पत्नी ओमप्रकाश 2286/30360, नर्बदादेवी पत्नी कृष्णचन्द्र 1829/30360, पवन पुत्र ओमप्रकाश 2286/30360, मंजु पुत्री ओमप्रकाश 2286/30360, राजेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण चन्द्र 1829/30360, रामावतार पुत्र जगदीश 3017/30360, विनोद कुमार पुत्र कृष्ण चन्द्र 1829/30360, वीणा पुत्री कृष्णचन्द्र 1829/30360, शंकरलाल पुत्र जगदीश 3017/30360, श्यामसुन्दर पुत्र जगदीश 3017/30360, सुशील कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण 1510/30360, हरिकेश पुत्र लक्ष्मीनारायण 1510/30360 जाति ब्राहमण साकिन नोहर

317/432(8) 15–16 की 0.506, 318/432(7) 1–2 की 0.506, 9 ता 13 की 1.265, 18 ता 20 की 0.759 किता 12 रकबा 3.036 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 10/06/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:56 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –41/2013

अनवान : –

1. महेश कुमार पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर–फौत।
   1/1. दुर्गा देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
   1/2. अन्जु 1/3. पवन 1/4. मंजु पुत्र व पुत्रीयान ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील।
2. कृष्णचन्द पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर–फौत।
   2/1. नर्मदा देवी पत्नी कृष्णचन्द जाति ब्राहमण निवासी नोहर।
   2/2. किरण देवी 2/3. राजेन्द्र 2/4. विनोद कुमार 2/5. वीणा पुत्री व पुत्रीया कृष्णचन्द जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पत्नी जगदीश जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर–फौत।
   3/1. शारदा 3/2. गीता 3/3. मुनी पुत्रीया सुमित्रा जाति ब्राहमण निवासी नोहर।
   3/4. कविता 3/5. ज्योतिवाला 3/6. मंगतुराम 3/7. सुनीता 3/8. सुशीला पुत्री व पुत्रीयान इन्द्रा देवी पुत्री जगदीश जाति ब्राहमण निवासी नोहर।
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर–फौत।
   4/1. सुमन 4/2. सरोज 4/3. सुशील कुमार 4/4. हरकेश पुत्र पुत्रीया लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. शंकरलाल 6. रामवतार 7. श्यामसुन्दर पि0 जगदीश जाति ब्राहमण निवासी नोहर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. सानिध्य पुत्र महेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 41 सन 2013 निर्णय दिनांक 10/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री महेशचन्द्र शर्मा व वकील प्रतिवादी श्री राजपाल झोरड़ की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नोहर के अंतिम डिक्री किया रोही मौजा 1 एनएचआर–बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के खाता स0 26/26 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:56 IST
Reason: SelfAttested

1 महेश कुमार पुत्र संतलाल 1/2 हिस्सा [illegible] पुत्र महेश कुमार 1/2 हिस्सा जाति ब्राहमण साकिन नोहर

316/432(9) 25/0.253, 316/433(17) 3[illegible]/0.506, 5/1 की 0.025, 5/2 की 0.228, 6/1 की 0.025, 6/2 की 0.228, 7–8 की 0.506, 317/432(8) 19 ता 22 की 1.012 किता 11 रकबा 2.7830 हैक्ट

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2 अंजु पुत्री ओमप्रकाश 2286/30360, किरणदेवी पुत्री कृष्णचन्द्र 1829/30360, दुर्गादेवी पत्नी ओमप्रकाश 2286/30360, नर्बदादेवी पत्नी कृष्णचन्द्र 1829/30360, पवन पुत्र ओमप्रकाश 2286/30360, मंजु पुत्री ओमप्रकाश 2286/30360, राजेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण चन्द्र 1829/30360, रामावतार पुत्र जगदीश 3017/30360, विनोद कुमार पुत्र कृष्ण चन्द्र 1829/30360, वीणा पुत्री कृष्णचन्द्र 1829/30360, शंकरलाल पुत्र जगदीश 3017/30360, श्यामसुन्दर पुत्र जगदीश 3017/30360, सुशील कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण 1510/30360, हरिकेश पुत्र लक्ष्मीनारायण 1510/30360 जाति ब्राहमण साकिन नोहर
317/432(8) 15–16 की 0.506, 318/432(7) 1–2 की 0.506, 9 ता 13 की 1.265, 18 ता 20 की 0.759 किता 12 रकबा 3.036 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 10/6/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:56 IST
Reason: SelfAttested